संOसंO–1/विविध–53/2015–664(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आरOकेO महाजन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक–20/5/2016

विषय– चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति के नुकसान के निवारण हेतु प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ प्रायः घटित हो रही है। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राज्य के चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्ति समय–समय पर कार्य बहिष्कार/हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे चिकित्सा सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं आमजनों को ईलाज में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2– राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ चिकित्सा सेवा से जुड़े व्यक्तियों एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है।

3– उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम–2011 पूर्व से गठित है, जिसके प्रावधानानुसार "चिकित्सा सेवा व्यक्ति" एवं "चिकित्सा सेवा संस्थान" के विरुद्ध कृत हिंसा या इसके प्रयास, हिंसा करने का दुष्प्रेरित या उद्दीपन के लिए अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की कारावास की सजा और अधिकतम रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार) तक के जुर्माने के प्रावधान सहित भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत् किया गया अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानतीय है।

4– वर्णित परिप्रेक्ष्य में उक्त उद्धृत अधिनियम की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति के नुकसान के निवारण हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के साथ बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम–2011 की सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाय एवं इसका अनुसंधान त्वरित गति से कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाय।

5– उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/5/16

(आरOकेO महाजन)

क्रमशः

D/sec-1-letter-4

ज्ञापांकः–664(1) /स्वा0, पटना, दिनांक–20/ 5/2016

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/उप निदेशक, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/16

प्रधान सचिव।